



दिल्ली विकास प्राधिकरण

ऋण वसूली अधिकरण- II, दिल्ली के समक्ष

चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना (ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम), 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित), निम्नलिखित मामले के संबंध में:

SA संख्या 288 / 2025

दिनांक: 15.05.2026

दिल्ली विकास प्राधिकरण

आवेदक

बनाम

पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और अन्य सेवा में,

प्रतिवादी

प्रतिवादी

D2. श्री कुणाल शोकीन

मकान नंबर 59, राजधानी एन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली-30

तथा दुकान नंबर 15, DDA मार्केट, वैशाली, पीतमपुरा, नई दिल्ली-34

चूंकि, ऊपर नामजद आवेदक ने आपके विरुद्ध 23,22,576/- रुपये (केवल तेईस लाख बाईस हजार पांच सौ छिहत्तर रुपये) की वसूली के लिए एक मामला दायर किया है; और चूंकि, ट्रिब्यूनल को यह संतोषजनक रूप से दर्शाया गया है कि आपको सामान्य तरीके से नोटिस तामील कराना संभव नहीं है, इसलिए यह नोटिस विज्ञापन के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें आपको निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 16.09.2026 को सुबह 11:00 बजे ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित हों।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उक्त निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपके अनुपस्थिति में ही मामले की सुनवाई की जाएगी और उसका निर्णय किया जाएगा।

सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, और इस प्रयोजन हेतु:-

- (I) सभी अधिवक्ता / वादकारी "Cisco Webex" एप्लिकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे:**
- (II) माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार द्वारा सुनवाई हेतु लिए जाने वाले मामलों के लिए "मीटिंग ID" और पासवर्ड, सुनवाई की तिथि पर, DRT के आधिकारिक पोर्टल (drt.gov.in) पर उपलब्ध दैनिक कार्य-सूची (Cause List) में ही प्रदर्शित किए जाएंगे।**
- (III) इस संबंध में किसी भी आपात स्थिति में, अधिवक्ता / वादकारी संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 23748478 पर संपर्क कर सकते हैं।**

मेरे हस्ताक्षर और ट्रिब्यूनल की मुहर के अधीन, आज दिनांक 15 मई, 2026 को जारी।

ट्रिब्यूनल के आदेश से,

अनुभाग अधिकारी

DRT-II, दिल्ली